



2026:AHC: 128764

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2812/2025

श्रीमती कुसुम देवी

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : चंद्र कुमार, शैलेश कुमार यादव, सूरज कुमार चौधरी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, मनोज कुमार पांडेय, विपिन कुमार तिवारी

न्यायालय संख्या- 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. दोबारा पुकार में भी विपक्षी संख्या 2 से 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्र कुमार के ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए.-प्रथम डॉ. एस.बी. मोर्य को सुना गया।
3. वर्तमान आपराधिक अपील विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अधिनियम), कौशांबी द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या 431 वर्ष 2024 (श्रीमती कुसुम देवी बनाम कृष्ण मोहन और अन्य), धारा 115, 352, 351(3), 324(2), 319(2), 318(4) बी.एन.एस. और एस.सी./एस.टी.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अधिनियम के अंतर्गत, थाना कोखराज, जिला कौशांबी में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 07.12.2024 के विरुद्ध दाखिल की गई है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ता अनुसूचित जाति समुदाय की सदस्य है और उसने वर्तमान अपील में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 07.12.2024 को चुनौती दिया है, जिसके द्वारा बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के अंतर्गत उसका आवेदन खारिज कर दिया गया है।

5. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि 24.09.2024 को अपीलकर्ता ने विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया था कि उसने उसे धोखा दिया है और 23.08.2024 को उसकी संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाया है, लेकिन इसके बावजूद संबंधित न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 07.12.2024 के माध्यम से उसका आवेदन खारिज कर दिया गया। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन से विपक्षी संख्या 2 से 5 के विरुद्ध प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है और इसलिए आक्षेपित आदेश दिनांक 07.12.2024 अवैध है।

6. वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि इसलिए आक्षेपित आदेश दिनांक 07.12.2024 को अपास्त किया जाए और विपक्षी संख्या 2 से 5 के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।

7. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि यह परिलक्षित होता है कि अपीलकर्ता और विपक्षी संख्या 2 के बीच किसी संपत्ति के संबंध में विवाद था और इसी कारण से अपीलकर्ता ने उसके और अन्य के विरुद्ध बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि, हालांकि अपीलकर्ता के अनुसार, विपक्षी संख्या 2 ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाया है, लेकिन यह तथ्य भी प्रथम दृष्टया झूठा प्रतीत होता है, क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा एक महीने से अधिक समय के बाद बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के अंतर्गत आवेदन से प्रथम दृष्टया विपक्षी संख्या 2 से 5 के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और आक्षेपित आदेश दिनांक 07.12.2024 में कोई अवैधता नहीं है।

9. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि इसलिए वर्तमान अपील गुण-दोष रहित है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

10. मैंने दोनों पक्षकारों को सुना है और वाद के अभिलेख का परिशीलन किया।

11. वर्तमान अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने संबंधित न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.12.2024 को चुनौती दिया है, जिसके द्वारा बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के अंतर्गत उसका आवेदन खारिज कर दिया गया है।

12. बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन से यह परिलक्षित होता है कि अपीलकर्ता ने विपक्षी संख्या 2 और अन्य के विरुद्ध आरोप लगाया है कि 23.08.2024 को उन्होंने उसकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है और उसने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी संख्या 2 ने उसे धोखा दिया है, लेकिन यह परिलक्षित होता है कि सामान्य और आकस्मिक आरोपों के आधार पर अपीलकर्ता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



13. इसके अलावा, यह भी परिलक्षित होता है कि स्वयं अपीलकर्ता के अनुसार विपक्षी संख्या 2 और अन्य अभियुक्तों ने 23.08.2024 को उसकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया था, लेकिन इसके बावजूद उसने 24.09.2024 को, अर्थात् एक महीने के बाद, बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया।

14. इसके अलावा, यह भी परिलक्षित होता है कि एक संपत्ति के संबंध में विपक्षी संख्या 2 और अपीलकर्ता के बीच विवाद लंबित था और इसलिए प्रकरण के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय के विचार में प्रथम दृष्टया विपक्षी संख्या 2 से 5 के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और संबंधित न्यायालय ने बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के अंतर्गत अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को उचित रूप से खारिज कर दिया है और आक्षेपित आदेश दिनांक 07.12.2024 में कोई अवैधता नहीं है।

15. तदनुसार, वर्तमान अपील गुण-दोष रहित है और एतद्वारा खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

23 जून, 2026

शाहरोज

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”